

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

सं० सं०- 10/निजी-01-1131/2024- 2205

पटना/दिनांक- 16/05/2025

श्रीमती प्रिया कुमारी (आईडी-5716), सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-04, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 "ख", वित्त विभाग के पत्रांक-640 दिनांक-19.01.2015 एवं पत्रांक-2555 दिनांक-29.03.2016 के आलोक में उनके प्रथम प्रसव हेतु दिनांक-20.05.2025 से दिनांक-14.11.2025 तक कुल-179 (एक सौ उनासी) दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक-15.11.2025 से दिनांक-16.11.2025 तक 02 (दो) दिनों का सामान्य अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

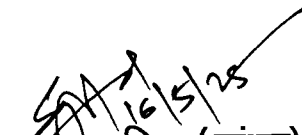
2. उक्त अवधि में यदि श्रीमती प्रिया कुमारी अवकाश में नहीं रहती तो अपने पद पर बनीं रहती ।


(अनवर सैयद अहमद)

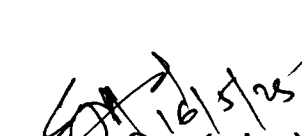
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1131/2024- 2205 पटना/दिनांक- 16/05/2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना के पत्रांक-1215 दिनांक-25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

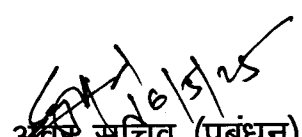

अवर सचिव (प्रबंधन)

2205
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-04, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


अवर सचिव (प्रबंधन)

2205
प्रतिलिपि :- श्रीमती प्रिया कुमारी (आईडी-5716), सहायक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-04, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

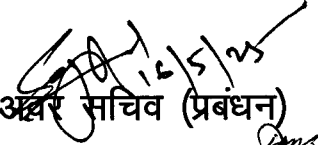
P.T.O


अवर सचिव (प्रबंधन)

10/निजी-01-1131/2024- 2205

पटना/दिनांक- 16/05/2025

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)
16/5/25